तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्त की तामील में जारी हुए
10.11.2025	पत्रावली आज पेश हुई। वकील प्रार्थीगण एवं वकील अप्रार्थी संख्या 5 व 6 उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने एक बाजदायरी प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी इस आशय का पेश किया है कि उनवानी वाद पत्र श्रीमान के न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमे प्रार्थी वादी के वकील साहब को दिनांक 25.02.2022 को पेशी रजिस्टर से आगामी तारीक पेशी 27.04.2022 को नोट करवा रखी थी। वर्ष 2019 से वर्ष 15 फरवरी 2022 तक सम्पूर्ण जगत में कोरोना महामारी के चलते हुये न्यायालय कार्य स्थगित कर रखे थे तथा पक्षकारो को न्यायालय में हाजिर होने की अनुमति नही थी इस कारण वादी / प्रार्थीगण की पत्रावली तारीक पेशी पर माह फरवरी से पहले न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु नही रखी गई तथा तारीख पेशी पक्षकारान को माम पेशी रजिस्टर से की जाती रही। उपरोक्त दिनांक 25.02.2022 को वादी प्रार्थीगण के वकील साहब ने पेशी रजिस्टर में दर्ज 27.04.2022 वादी प्रतिवादी की तारीक अपनी डायरी में नोट की। उपरोक्त उनवानी वाद पत्र में वादी की कोरोना काल में लम्बी बिमारी के कारण दिनांक 21.03.2021 को मृत्यु हो गई थी। यही कारण रहा कि वादी/प्रतिवादीगण के वकील साहब को नही थी। यही कारण रहा की वादी (मृतक) अपनी मृत्यू होने के कारण दिनांक 25.02.2021 को तारीक पेशी पर हाजिर नहीं हो सका जिस कारण वादी का वाद दिनांक 25.02. 2021 को अदम हाजरी अदम पेशी में खारीज कर दिया गया। उपरोक्त वाद पत्र की जानकारी प्रार्थीगण को न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2022 को आदेश की नकल लेने से प्राप्त हुई। प्रार्थीगण/वादी ने दिनांक 25.02.2022 को न्यायालय में उपस्थित होने में जानबुझकर कोई भूल नहीं की और न ही वादी के वकील साहब ने कोई भूल की हो वादी के वकील साहब ने पेशी रजिस्टर से वादी की तारीख पेशी 27.04.2022 नोट कर अपनी डायरी में अकित की थी। किन्तु वादी का वाद पत्र दिनांक 25.02.2022 को ही खरीज कर दिया गया इसलिए न्यायहित में प्रार्थीगण वादी का वाद पत्र रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु पुनः नम्बर पर लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। मोती की दिनांक 21.03.2021 को कोरोना काल में मृत्यू हो चुकी थी। जिसके निम्न वारीस है। जिन्हे वाद पत्र में कायमुकाम नियुक्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। ताकि मुकदमें का गुणावगुण के आधार पर निस्तारण किया जा सके। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र रेस्टोरेशन स्वीकार कर वादी का वाद पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश करने की कृपा करे तथा मृतक वादी के वारीसान को वाद पत्र में लोक अदालत की भावना से कायम मुकाम नियुक्त करने के आदेश फरमाने की कृपा करे। बहस सुनी गई। तत्कालीन कोरोना की परिस्थिति में मद्दे... प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है अतः प्रार्थीगण का बाजदायरी प्रार्थना पत्र अधीन आदेश 09 नियम 09 सीपीसी 500/- रूपये की कॉस्ट पर स्वीकार किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)	न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सत्यमेव जयते चौथ का बरवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jogendra Singh
Date: 2025.11.11 16:26:36 IST
Reason: SelfAttested